

## संशोधित मान्यता प्रमाण पत्र

विद्यालय - MOUNT CARMEL SCHOOL (P50379)

आवेदन क्रमांक : 41875

मान्यता कोड: RIJDP31941

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JODHPUR, राजस्थान

क्रमांक: 1135

दिनांक 21/06/22

सचिव

प्रबंध समिति

MOUNT CARMEL SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 41875 और इस सम्बन्ध में संस्था / विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के सन्दर्भ में, MOUNT CARMEL SCHOOL पता DIGARI KALLA ग्राम पंचायत / शहरी स्थानीय निकाय NAGAR NIGAM JODHPUR-SOUTH ब्लॉक JODHPUR CITY (U) को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

क्रमोन्नति	पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है		YES

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर

Revised

विद्यालय - MOUNT CARMEL SCHOOL (P50379)

आवेदन क्रमांक : 41875

मान्यता कोड: RJJDPS1941

- विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्त्रति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वर्ग के स्तर पर की। जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
- विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- राज्य सरकार / विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित नियमों/ आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वाछित सूचनाएँ/अभिलेख अवलंब उपलब्ध करवाने होंगे।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड ((भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रस्ति के बाद विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
- विद्यालय का नाम / भवन/कर्मा/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
- विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्त्रति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- विरष्ट शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था/ विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
- रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय माध्यमिक  
माध्यमिक शिक्षा, जौधपुर

जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय माध्यमिक  
माध्यमिक शिक्षा, जौधपुर